रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 16 मई, 1987/26 वैशाख, 1909

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 3 अप्रैल, 1987

संख्या 1-20/87-वि०स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 135 के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 1987 (1987 का विधेयक

722-राजपत्र/87-16-5-87—1,210.

मूल्य: 20 पैसे ।

संख्यांक 6) जो दिनांक 3 अप्रैल, 1987 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरः स्थापित हो गया है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

विश्वेश्वर वर्मा,
सचिव

1987 का विधेयक संख्यांक 6

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1987

(विधान सभा में यथा पुर:स्थापित)

वित्तीय वर्ष 1984-85 में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन के प्राधिकरण के लिए उपबन्ध करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्या 3) अधिनियम, 1987 है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से 1984-85 वर्ष के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए 32,93,23,314 रुपये की अतिरिक्त राशि का प्राधिकरण ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट राशियां, जिनका योग 32,93,23,314 रुपये (बत्तीस करोड़, तिरानवें लाख, तेईस हज़ार, तीन सौ चौदह रुपये) है, वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित प्रभारों को चुकाने के लिए, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए संदत्त किए जाने और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जायेगी ।

विनियोग

3. इस अधिनियम के अधीन, हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाने वाली राशियां, वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त, सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित समझी जाएंगी ।

अनुसूची

(धाराएं 2 और 3 देखें)

1	2		3		
			निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
मांग संख्या	सेवाएं और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा दत्तमत	संचित निधि पर प्रभारित	जोड़
2	राज्यपाल तथा मन्त्रिपरिषद्	(राजस्व)	6,32,281	—	6,32,281
5	भू-राजस्व	(पूंजी)	1,40,400	—	1,40,400
6	आबकारी तथा कराधान	(राजस्व)	91,274	—	91,274
8	शिक्षा, कला तथा संस्कृति एवं वैज्ञानिक अनुसंधान	(राजस्व)	2,29,07,647	—	2,29,07,647
		(पूंजी)	21,52,069	—	21,52,069
10	लोक निर्माण	(राजस्व)	12,72,84,093	—	12,72,84,093
12	लघु सिंचाई	(राजस्व)	1,84,05,271	—	1,84,05,271
		(पूंजी)	10,12,779	—	10,12,779
13	भूमि तथा जल संरक्षण	(पूंजी)	96,543	—	96,543
16	वन	(राजस्व)	35,57,832	—	35,57,832
		(पूंजी)	5	—	5
17	सड़कें तथा पुल	(राजस्व)	1,21,44,608	—	1,21,44,608
		(पूंजी)	1,37,66,652	—	1,37,66,652
20	जन स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं जल आपूर्ति	(पूंजी)	3,99,030	—	3,99,030
26	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	(पूंजी)	5,48,031	—	5,48,031
28	पर्यटन	(पूंजी)	3,498	—	3,498
29	श्रम तथा रोजगार	(राजस्व)	1,60,936	—	1,60,936
30	आवास	(राजस्व)	10,57,823	—	10,57,823
32	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	(पूंजी)	38,32,553	—	38,32,553
33	वित्त	(राजस्व)	1,36,21,257	—	1,36,21,257
		(पूंजी)	—	9,57,46,834	9,57,46,834
35	जन जातीय विकास	(राजस्व)	1,17,61,898	—	1,17,61,898
		जोड़ . .	23,35,76,480	9,57,46,834	32,93,23,314

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के खण्ड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में, हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए, अनुदान और विनियोजन से अधिक किए गए व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त धन के विनियोजन का उपबन्ध करने के लिए पुरःस्थापित है ।

शिमला :
अप्रैल 3, 1987.

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[वित्त विभाग फाईल सं0 फिन-ए-सी-(2) 1/86 II]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1987 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं ।

[*Authoritative English text of the Himachal Pradesh Viniyog (Sankhya 3) Vidheyak, 1987 (1987 ka Vidheyak Sankhyank 6) as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

Bill No. 6 of 1987.

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NO. 3) BILL, 1987

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for the authorisation of appropriation of certain amount out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet the amount spent on certain services for the financial year 1984-85 in excess of the amount authorised or granted for those services for that year.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Thirty-eighth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 1987.

Authorisation of a further sum of Rs. 32,93,23,314 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet certain expenditure for the year 1984-85.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, the sums specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. 32,93,23,314 (thirty-two crores, ninety-three lakhs, twenty-three thousand, three hundred and fourteen rupees) shall be deemed to have been authorised to be paid and applied to meet the amount spent for defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of the Schedule during the financial year 1984-85 in excess of the amount authorised or granted for these services and for that year.

Appropriation.

3. The sums deemed to have been authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh under this Act shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the financial year 1984-85.

THE SCHEDULE

(*See* sections 2 and 3)

1	2		3		
			Sums not exceeding		
Number of Demand	Services and purposes		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
2	Governor and Council of Ministers	(Revenue)	6,32,281	—	6,32,281
5	Land Revenue	(Capital)	1,40,400	—	1,40,400
6	*Excise and Taxation*	(Revenue)	91,274	—	91,274
8	Education, Art and Cultural Affairs and Scientific Research.	(Revenue)	2,29,07,647	—	2,29,07,647
		(Capital)	21,52,069	—	21,52,069
10	Public Works	(Revenue)	12,72,84,093	—	12,72,84,093
12	Minor Irrigation	(Revenue)	1,84,05,271	—	1,84,05,271
		(Capital)	10,12,779	—	10,12,779
13	Soil and Water Conservation	(Capital)	96,543	—	96,543
16	Forest	(Revenue)	35,57,832	—	35,57,832
		(Capital)	5	—	5
17	Roads and Bridges	(Revenue)	1,21,44,608	—	1,21,44,608
		(Capital)	1,37,66,652	—	1,37,66,652
20	Public Health, Sanitation and Water Supply.	(Capital)	3,99,030	—	3,99,030
26	Stationery and Printing	(Capital)	5,48,031	—	5,48,031
28	Tourism	(Capital)	3,498	—	3,498
29	Labour and Employment	(Revenue)	1,60,936	—	1,60,936
30	Housing	(Revenue)	10,57,823	—	10,57,823
32	Other Administrative Services	(Capital)	38,32,553	—	38,32,553
33	Finance	(Revenue)	1,36,21,257	—	1,36,21,257
		(Capital)	—	9,57,46,834	9,57,46,834
35	Tribal Development	(Revenue)	1,17,61,898	—	1,17,61,898
	Total		23,35,76,480	9,57,46,834	32,93,23,314

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of Clause (1) of Article 204 read with clause (1) of Article 205 of the Constitution of India to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys further required to meet the expenditure on account of expenses in excess of grants and appropriations for the financial year 1984-85.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHIMLA :
The 3rd April, 1987.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[Finance Department File No. Fin. A-C(2) 1/86-II]

The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Bill, 1987, recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the aforesaid Bill by the Legislative Assembly.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।